भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1004
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएँ

1004. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और उप-केन्द्रों में आवश्यक उपकरण, रक्त की उपलब्धता, नवजात शिशु देखभाल और 24 घंटे एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त मुद्दों पर संज्ञान लिया है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उप- केंद्रों पर प्रसव के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए 100 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जमीनी स्तर पर स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) देश भर में उक्त सुविधाओं की अनुपलब्धता का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, शहरी, ग्रामीण और आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब और दुर्बल वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, वहनीयता और पहुँच में सुधार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने और प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) रणनीति के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उप-केंद्रों (एससी) में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- सहायक नर्स दाइयों (एएनएम), सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ), स्टाफ नर्सों और चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) सहित प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों द्वारा गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों पर **प्रसव केंद्र** स्थापित किए गए।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों तक पहुँच में सुधार के लिए दूर-दराज और आदिवासी क्षेत्रों में **प्रसूति प्रतिक्षा गृह** (बीडब्ल्यूएच) स्थापित किए गए।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों का क्षमता निर्माण।
  - एएनएम, सीएचओ और स्टाफ नर्सों के लिए **कुशल प्रसव परिचारिका** (एसबीए) प्रशिक्षण
  - एएनएम, सीएचओ, स्टाफ नर्सों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए **दक्ष प्रशिक्षण**
  - स्टाफ नर्सों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए **दक्षता प्रशिक्षण**
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** (जेएसएसके) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सहित निःशुल्क और बिना किसी खर्च के प्रसव कराने की पात्रता प्रदान करता है। गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए जेएसएसके के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं:
  - निःशुल्क दवाएँ, निदान, रक्त और उपभोग्य वस्तुएँ
  - सुविधा केंद्रों में भर्ती के दौरान निःशुल्क आहार (सामान्य प्रसव की स्थिति में 3 दिनों तक और सिजेरियन के मामले में 7 दिनों तक)
  - घर से स्वास्थ्य सेवा केंद्रों तक, विभिन्न सुविधाकेंद्रों के बीच और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से घर तक निःशुल्क परिवहन।
  - सभी प्रकार के उपयोगकर्ता शुल्क से छूट।

एनएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) वर्ष 2012 में आरंभ की गई थी। दो प्रकार की एम्बुलेंस सेवाएँ 108 (एएलएस/बीएलएस) और 102 शुरू की गईं थी। डायल 108 मुख्यत: एक आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली है जिसे मुख्य रूप से गहन परिचर्या वाले रोगियों, आघात, दुर्घटना पीड़ितों आदि की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है। डायल 102 सेवा में मूलतः सामान्य रोगी परिवहन शामिल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है, हालाँकि अन्य वर्ग भी इसका लाभ उठाते हैं और वे इससे अपवर्जित भी नहीं हैं। 31.12.2024 को एनएचएम एमआईएस के अनुसार, देश में एनएचएम के अंतर्गत 3173 एएलएस और 15455 बीएलएस उपलब्ध हैं।

भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं में सुधार के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 अवधारित किए हैं। इन मानकों में सेवाओं, अवसंरचना, मानव संसाधन, निदान, उपकरण, दवाइयों आदि के मानदंड शामिल हैं। आईपीएचएस स्वास्थ्य सेवा सुविधाकेन्द्रों की स्थापना और उन्नयन के लिए जनसंख्या मानदंडों को भी परिभाषित करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आधारभूत आकलन करने, कमियों की पहचान करने और सुधारात्मक उपायों की योजना बनाने एवं उन्हें लागू करने के लिए आईपीएचएस के अंतर्गत एक ओपन डेटा किट (ओडीके) टूलकिट विकसित किया है। एनएचएम इन कमियों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे इन सुविधाकेन्द्रों तक पहुँच सुनिश्चित हो और आवश्यक मानकों को पूरा किया जा सके।

******